BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

EASTEREN ZONE BENCH, KOLKATA

Original Application No. 75/ 2024/EZ

In the matter of:-

Dewkant Kumar ----- Applicant

VERSUS

Bihar State Pollution Control Board & Ors. ---- Respondents

Index

Ram Pravesh Thakur
NOTARY
GOVT OF BIHAR

Sl		Particulars	Page No.
1.		**Statement of Fact**	1-
2.	**Annexure A**	Xerox copy of the Memo no. 849 dated 22.04.2024 issued under signature of the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna.	-
3.	**Annexure B**	Xerox copy of order contained with Memo no. 585 dated 26.04.2024.	
4.	**Annexure C**	Xerox copy of notice dated 11.05.2024, postal slip and affidavit of service.	

BEFORETHE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

EASTEREN ZONE BENCH,KOLKATA
ORIGINAL APPLICATION NO. 75/ 2024/EZ

In the matter of:-

Dewkant Kumar

...Applicant

VERSUS

Bihar State Pollution Control Board&Ors.

...Respondents

COUNTER AFFIDAVIT ON
~~STATEMENT OF FACTS O~~N BEHALF OF RESPONDNET NO. 3

I, **Shrikant Shastree** son of Late Sukhdeo Prasad, aged about 52 years by occupation Govt. Service, residing at Flat No.A/105, Nandan Tower, Colony More, Kankarbagh, Kankarbagh Patna (Bihar) Pin Code-800020 and working for at District Magistrate-cum-collector, Aurangabad do hereby solemnly affirm and say as follows:

No. 1687 Date 06.07.2024

1. That I am well acquainted with the facts and circumstances of the case. I am competent and duly authorized to verify and affirm this statement of fact for and on behalf of the Respondent No. 3 herein

Ram Pravesh Thakur
GOVT. OF BIHAR
Exp.-24 2023

2. That it is most humbly submitted that the answering respondent has profound regards for the orders of the Hon'ble Tribunal.

3. That it is respectfully submitted that the instant matter was heard on 21.03.2024 and the Hon'ble Tribunal was pleased to constitute a Fact FindingCommittee comprising of (i) Senior Scientist, Bihar State Pollution Control Board, (ii) Senior Scientist, Central Pollution Control Board, and (iii) Collector & District Magistrate, Aurangabad or his

representative (not below the rank of Additional District Magistrate) and further it was directed to visit the site in question and cause an inspection to be carried with respect to the allegations made in the Original Application and submit its report.

4. That it is respectfully submitted that (i) Arun Kumar, Analyst and (ii) Manoranjan Kumar, Regional Officer, Gaya have been nominated by the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna vide letter bearing memo no. 849 dated 22.04.2024 for cooperation and coordination with the committee. Copy of the Memo no. 849 dated 22.04.2024 issued under signature of the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna is annexed herewith and marked as Annexure-A

5. That in compliance with the aforesaid order, Sri LalitBhushanRanjan, Additional Collector, Aurangabad was nominated vide order contained with memo no. 585 dated 26.04.2024 for factual examination/inspection. Copy of the order contained with Memo no. 585 dated 26.04.2024 is annexed herewith and marked as Annexure-B

6. That it is respectfully submitted that the members of the joint committee undertook the site visit on-site inspection and physical verification and during the course thereof, all necessary logistics supports were provided to them by the answering respondent.

7. That the notice in physical as well as registered post mode has been served to the Respondent no. 5 i.e. Sri Cement/Bihar Cement Plant, Aurangabad on 13.05.2024. It is also submitted that an affidavit of service is also sworn by the answering respondent (respondent no. 3).Xerox copy of

the notice and affidavit is annexed herewith and marked as Annexure-C series.

8. That the answering respondent respectfully submits that he is ready and willing to abide by the order/s and direction/s made by this Hon'ble Tribunal and shall take all possible steps to comply the directions of the Hon'ble Tribunal.

9. That the statements made in paragraph 1 to 3, are true to my knowledge, those made in paragraphs 4,5 and 7 are matters of record and the rest are my humble submissions before this Hon'ble Court.

Shrikant Shastri

Deponent

Attested
Ram Pravesh Thakur
NOTARY PUBLIC
Aurangabad

Prepared in my office &
Identified by me

Akhilesh
Advocate
06.07.2024
En No.- 1070/12

NOTARY
GOVT OF BIHAR

Solemnly affirm before me
Shrikant Shastree
Identified by
Akhilesh Kumar
Notary Aurangabad (Bihar)
6/7/24

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

श्रीकांत शास्त्री
Shrikant Shastree
जन्म तिथि/ DOB: 05/08/1972
पुरुष / MALE

6541 2684 3029

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
OF INDIA

आधार

पता:
आत्मज: स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद, फ्लैट न-ए/105, नंदन टावर, बस्ती मोड़, कंकड़बाग, कंकड़बाग, पटना, बिहार - 800020

Address:
S/O: Late Sukhdeo Prasad, Flat no-A/105, Nandan Tower, Colony Moru, Kankarbagh, Kenkarbag, Patna, Bihar - 800020

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in
P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

Shrikant Shastree

कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

एस0 चन्द्रशेखर सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पटना के पत्रांक–P/Legal/01/2024 849 दिनांक–22.04.2024 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकता में दायर O.A. N0-75/2024/EZ देवकान्त कुमार बनाम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मामले में दिनांक–21.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र औरंगाबाद जिले में मेसर्स श्रीसमेन्ट से हो रहे वायु प्रदूषण से संबंधित है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकता के द्वारा दिनांक–12.04.2024 को मामले की सुनवाई के दौरान चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाये आरोपों की तथ्यात्मक जाँच हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक सदस्य समाहर्त्ता/ जिला अधिकारी, औरंगाबाद या उनके प्रतिनिधि जो अपर जिला अधिकारी के पद के सम्तुल्य हो, रहेंगे।

उपरोक्त के आलोक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाये गयें आरोपों की तथ्यात्मक जाँच करने हेतु श्री ललित भूषण रंजन, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद

ज्ञापांक– 585 /सा0, दिनांक– 26.04.2024

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद

ई–मेल / निबंधित

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0– सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना–800010
ई–मेल– msbspcb-bih@gov.in बेवसाईट– http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांकः P/Legal01- /2024 पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से.
सदस्य–सचिव।

सेवा में,

1. सदस्य–सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली– 110032
E-mail- mscb.cpcb@gov.in

2. जिलाधिकारी,
जिला– औरंगाबाद।
E-mail- dm-aurangabad.bih@nic.in

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकता में दायर O.A. No.- 75/2024/EZ, देवकांत कुमार बनाम् बिहार राज्य प्रूदूषण नियंत्रण पर्षद् के मामले में दिनांक 21.03.2024 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में। (आदेश की प्रति संलग्न)

प्रसंगः औरंगाबाद जिले में मेसर्स श्री सीमेंट (बिहार सीमेंट प्लांट) से हो रहे वायु प्रदूषण का मामला।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकता के द्वारा Dewkant kumar, ठाकुरबाड़ी रोड, औरंगाबाद के शिकायत पत्र को मूल आवेदन के रूप में पंजीकृत किया गया है। विषयांकित मामला में आरोप लगाया गया है कि बिहार के औरंगाबाद जिले में मेसर्स श्री सिमेंट (मेसर्स बिहार सिमेंट प्लांट) के द्वारा क्षेत्र में व्यापक वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिसके कारण लोगों का जीना कठिन हो गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकता के द्वारा **दिनांक 12.04.2024** को मामले की सुनवाई के दौरान निम्नलिखित को प्रतिवादी बनाते हुए चार सप्ताह के भीतर जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैः–

1. सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
2. प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
3. समाहर्ता / जिलाधिकारी, औरंगाबाद
4. सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5. प्रबंध निदेशक, मेसर्स श्री सिमेंट (मेसर्स बिहार सिमेंट प्लांट)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा लगाये गये आरोपों की तथ्यात्मक जांच करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है:–

1. वरीय वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
2. वरीय वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. समाहर्ता/जिलाधिकारी, औरंगाबाद या उनके प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी के पद के समतुल्य हो

माननीय अधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया है कि समिति संबंधित स्थल का दौरा करेगी और मूल आवेदन में लगाये गये आरोपों की जांच कर चार सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिर्पोट प्रस्तुत करेगी। समाहर्ता/जिलाधिकारी औरंगाबाद सभी logistic उद्देश्य के लिए नोडल कार्यालय होंगे।

विषयांकित मामले में पर्षद् की ओर से संयुक्त समिति को समन्वय एवं सहयोग हेतु श्री अरूण कुमार, पर्षद् विश्लेषक (E-mail- bspcb.arun@gmail.com, mobile no.- 9771023486) एवं श्री मनोरंजन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, गया (mobile no.- 8789336767) को नामित किया गया है।

विषयांकित मामला दिनांक 09.05.2024 को माननीय अधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु सूचिबद्ध है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

अनुलग्नकः यथो0।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः 849 पटना, दिनांकः 22.4.24

प्रतिलिपिः श्री अरूण कुमार, पर्षद् विश्लेषक एवं श्री मनोरंजन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, गया को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित मामले के संदर्भ में सभी संबंधित से समन्वय स्थापित कर अग्रतर जांच कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहेंगे तथा इस संबंध में जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराना चाहेंगे।

22/4/24
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

(3)

RFA110744161N

[illegible]

भारतीय डा

Indi

... Stay ...

कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद

(जिला सामान्य शाखा)

पत्रांक– 797 /सा0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
मेसर्स श्रीसीमेन्ट (मेसर्स बिहार सिमेंट प्लांट)
औरंगाबाद

औरंगाबाद, दिनांक– 11.05.202

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच कोलकता में दायर O.A NO –75/2024/EZ देवकान्त कुमार बनाम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के मामले में स्थित स्पष्ट करने के आलोक में दिनांक–21.03.2024 एवं 09.05.2024 द्वारा पारित आदेश के संबंध में।

प्रसंगः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच कोलकता में दायर O.A NO –75/2024/EZ देवकान्त कुमार बनाम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के मामले में दिनांक–21.03.2024 एवं 09.05.2024 को पारित आदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि सदस्य, सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद्, पटना के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच कोलकता में दायर O.A NO –75/2024/EZ देवकान्त कुमार बनाम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के मामले में दिनांक–21.03.2024 एवं 09.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त मामला औरंगाबाद ज़िला में मेसर्स श्रीसीमेन्ट से हो रहे व्यापक वायु प्रदूषण से संबंधित है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाये गये आरोपों की तथ्यात्मक जांचोपरान्त तीन सप्ताह के अन्दर जवाब दाखिल करने का निदेश दिया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदक, श्री देवकान्त कुमार, ठाकुरबाड़ी रोड, औरंगाबाद के शिकायत पत्र एवं O.A NO –75/2024/EZ देवकान्त कुमार बनाम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक–21.03.2024 एवं 09.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र यथाशीघ्र दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/5/24

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद

भारतीय डाक

India Post

EF550763208IN IVR:6970550763208
SP AURANGABAD BH HO (824101)
Counter No:1,08/07/2024,13:15
To:SHREE DEVKANT KUMAR,,
PIN:824101, Aurangabad BH HO
From:JILA PADADHIKARI,AGB.
Wt:60gms
Amt:29.50,Tax:4.50,Amt.Paid:30.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय डाक

India Post

श्री देवकान्त कुमार	पत्रांक- 1338	Pratik Pratyush
कोठरी दीप, शिव स्थान	6-7-2024	8-7-2024
ठाकुरवाड़ी रोड औरंगाबाद,		